उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-**2**
संख्याः3/2017/वे0आ0-2-211/दस-35(एम)/2008टी0सी0
लखनऊः दिनांक 28 फरवरी 2017

कार्यालय ज्ञाप

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वॉछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-370/दस-2008 दिनांक 20 अगस्त 2008 द्वारा सृजित वरिष्ठ शोध अधिकारी वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- -सादृश्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-11 (रू0 67700-208700) के एक संवर्गीय पद का कार्यकाल अन्तिम बार कार्यालय-ज्ञाप सं0-वे0आ0-2-775/दस-2016-35(एम)/ 2008टी0सी0 दिनांक 27 जून 2016 द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ाया गया था। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वरिष्ठ शोध अधिकारी के उपर्युक्त संवर्गीय पद का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी 2018 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इस पद को समाप्त न कर दिया जाय बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त पद के पदधारक को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अतिरिक्त मॅहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृति किये जाये अनुमन्य होंगे।

3- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-105-विशेष जांच आयोग-03--राज्य आयोग और समितियॉ-0301- वेतन समिति का गठन के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्याः3/2017/वे0आ0-2-211(1) /दस-35(एम)/2008टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3- इरला चेक अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in